श्रुतलेखक (Scribe) के संबंध में दिशा-निर्देश

आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है:—

1. अभ्यर्थी स्वयं का श्रुतलेखक ला सकते है:--

- 1.1. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जांच ले कि उनके द्वारा लाया गया श्रुतलेखक आयोग द्वारा श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।
- 1.2. श्रुतलेखक को फोटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी द्वारा वचन—पत्र केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा एवं केन्द्राधीक्षक उसका परीक्षण करेगा।
- 1.3. अभ्यर्थी को नियमानुसार जारी दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र भी केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

2. आयोग के माध्यम से:--

- (A) केन्द्राधीक्षक से अनुरोध कर:— अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा से 02 दिवस पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण—पत्रों सहित केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था की जायेगी। अतः अभ्यर्थी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- (B) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक पैनल का प्रयोग कर:— पैनल के माध्यम से श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी को परीक्षा से 02 दिवस पूर्व आयोग से संपर्क करना होगा। जिला प्रशासन / परीक्षा समन्वयक द्वारा जिलेवार उपलब्ध पैनल में पंजीकृत श्रुतलेखकों को आवश्यकतानुसार श्रुतलेखक के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया जायेगा।

श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा-निर्देश:-

- श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के समय श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- 2. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वांछित दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, वचनपत्र (Appendix- A) एवं श्रुतलेखक का वचनपत्र (Appendix- B) भरकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की स्वसत्यापित प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को देनी होगी।
- 3. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section- 2(r) * के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनो हाथों की निःशक्तता- Both Arms) एवं सेरेबरल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (Appendix- C) एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी।
- 4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section- 2(s) * के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (Appendix- D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को

- श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- 5. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा।
- 6. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो उपर्युक्त बिन्दु संख्या 03 व 04 के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये योग्य है किन्तु श्रुतलेखक की सुविधा नहीं लेते हैं, उन्हें भी मांग किये जाने पर परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा।
- 7. श्रुतलेखक हेत् निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :--

परीक्षा के लिए विज्ञापनानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसका अभ्यर्थी परीक्षार्थी है	श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता
(क) स्नातकोत्तर उपाधि	अधिकतम रनातक
(ख) स्नातक उपाधि	अधिकतम द्वितीय वर्ष स्नातक अध्ययनरत
(ग) सीनियर सैकण्डरी	अधिकतम सैकण्डरी

- 8. अभ्यर्थी जिस विषय में परीक्षा दे रहा हो, उसे उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी तथापि भाषायी संबंधी विषयों यथा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी व सिंधी हेतु उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं दी जा सकती है।
- 9. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य / प्रमाण प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में विवर्जित (Debarment) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 10. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए है, को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- 11. आयोग द्वारा श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रूपये की दर से किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का श्रुतलेखक लाने पर श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 12. श्रुतलेखक द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्न बोलकर बताया जायेगा एवं श्रुतलेखक उत्तरपुस्तिका में अभ्यर्थी द्वारा बोलकर बताये अनुसार ही उत्तर लिखेगा तथा स्वयं के मन से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखने के लिए बाध्य होंगे। केन्द्राधीक्षक गहन निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक सुविधा का कोई दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है।
- 13. आयोग द्वारा केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करवाई जाने वाली श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे गये विवरण के आधार पर तैयार की गई है। अतः आयोग द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्राधीक्षक चिकित्सा प्रमाण—पत्रों की जांच कर लेवें तथा उन्हीं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाया जावें, जो इसके लिये पात्र हैं।
- 14. आयोग की परीक्षाओं से विवर्जित (Debarred) अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

*Section-2(r) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016: "person with benchmark disability" means a person with not less than fourty percent of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

Section-2(s) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016: "person with disability" means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.

Undertaking by Candidate for using scribe

Latest Photograph of Scribe (Showing face only) duly Attested by the center superintendent

1.	I					
	(nature of disability/condition) appearing for the					
	(name of the examination) bearing Roll No at					
	(name of the centre) in the District,					
	Rajasthan. My educational qualification is					
2.	I do hereby state that(name of the scribe)					
	S/o/D/o a resident of					
	(Village/District/State) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the					
	aforementioned examination.					
3.	I do hereby undertake that Scribe's qualification is In case,					
	subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and as					
	decided by the RPSC, Ajmer, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.					
4.	. I am not debarred in any examination from RPSC, Ajmer or any other examination body.					
5.	In case any of the above information is found wrong then I will be responsible for all					
	consequence as per rule.					
	(Signature of the candidate)					
	VERIFICATION					
	verify that the information provided by the candidate has been					
checke	ed as per the original document of the candidate.					
	(Signature of Center Superintendent)					
Place:						
Date: Note:	Kindly Attach self attested copies of Medical Certificate and scribe qualification with this					
	taking.					

Undertaking by Scribe

Latest Photograph of Scribe (Showing face only) duly Attested by the center superintendent

1.	I s/o/D/o a resident of				
	(Village/District/State) providing the service of scribe to				
	(name of candidate) S/o/D/o appearing for the				
	(name of the examination) at				
	(name of the centre) in the District,				
	Rajasthan. My educational qualification is				
2.	I do hereby undertake that my qualification is In case,				
subsequently it is found that my qualification is not as declared by the undersi					
	decided by the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer then RPSC can take action as per				
	rules.				
3.	In case any of above information is found wrong then I shall be debarred permanently for all				
	future examinations conducted by Rajasthan Public Service Commission, Ajmer and the				
	commission shall act against me as per law.				
	(Signature of the Scribe)				
	VERIFICATION				
I	verify that the information provided by the scribe has been				
checke	ed as per the original document of the scribe.				
	(Signature of Contar Superintendent)				
	(Signature of Center Superintendent)				
Place:					
Date:					
Note:	Attach a copy of Education Qualification Certificate & Photo Identity Proof of Scribe with this				

Note: Attach a copy of Education Qualification Certificate & Photo Identity Proof of Scribe with this Undertaking.

Certificate regarding physical limitation of examinee to write

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by undersigned medical officer

This is to certify that I have examined Mr/Ms/Mrs(name of the							
candidate with disability), a person with(nature and percentage of							
disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o a resident							
of(Village/District/State) and to state that he/she/ has physical							
limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.							
Signature							
Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a							
Government health care institution							
Name & Designation							
Name of Government Hospital/Health Care Center with Seal							
Place:							
Date:							
Note: Certificate should be given by an authorised specialist of the relevant stream/disability (eg.							
Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability- Orthopaedic specialist/PMR)							

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

Latest Photograph
of Candidate
(Showing face
only) duly
Attested by
undersigned

1.	the candid	ify that we have exar ate), S/o /D/o		,	a resident of		
2.	a person wit he/she has I condition. He	himitation which han /she requires suppor ndidate uses aids an	(nature of dis npers his/her writing t of scribe for writing	sability/condition), g capability owing the examination.	and to state that to his/her above		
	aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe:						
3.	. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)						
Signature of medical authority							
(Signa	ature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name	(Signature & Name)		
	nopaedic/ R specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if required)	Occupational therapist (if required)	Any other Expert based on the condition of the candidate, as nominated by the Chairperson		
	nature & Name	e) cer/Civil Surgeon/Chi	ef District Medical Of	ficerChairpers	on		
		N	ame of Government	Hospital/Health Ca	re Centre with Seal		

Place: Date: